


शुभ्रं शंभ्राविलालगंज ५५ TDR
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| २४/४/२३ | <p>प्रार्थना पत्र उद्यानाद्यापन शंभ्राविलालगंज पं. ला नैनवां के प्रार्थना पत्र करने तरमीम शुद्धि किये जाने बखत पेश हुआ। प्रार्थना पत्र को धारा 131, 136 LR Act के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे। पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक ३.११.२३ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">JK</p> | <p>4596-97 1.9.23</p> |
| ४.११.२३ | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 12.12.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">JK</p> | <p style="text-align: center;">HCH</p> <p>8-11-23</p> |
| 12.12.23 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि _____ को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण तरमीम शुद्धि का न होकर आवण्टन से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में तरमीम शुद्धि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना के आवण्टन के सम्बन्ध में आवश्यक निममानुसार कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं।</p> | <p>9413128201</p> |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

न्यायालय

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|------------|--|
| | <p>अतः पत्रावली में हल स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्विघ्न न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर ली।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)</p> |

उपखण्ड हुकम
महसुस जा